बच्चों एवं महिलाओं के विकास के लिये बनाई गई ग्राम पंचायत की उप समिति के बारे में जरूरी जानकारी

देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिये बच्चों और महिलाओं की तरक्की बहुत ही जरूरी है । हरियाणा में बच्चों और महिलाओं केलिये बहुत से प्रोग्राम चलाये जा रहे हैं। इन्हें लागू करने में महिलाओं की पूरी भागीदारी हो । इस उददेश्य से हरियाणा सरकार द्वारा हर ग्राम पंचायत की एक उप समिति (कमेटी) बनाई गई है जिसमें मुख्यतः गांव की महिलायें ही सदस्य हैं। कमेटी के सदस्य निम्न प्रकार से हैः–

महिला सरपंच, सभी महिला पंच, महिला स्कूल अध्यापिका, मल्टी परपज हैल्थ वर्कर, महिला मण्डल की प्रधान, स्वंय सहायता समूह की लीडर, युद्ध पीड़ित विधवा, 3 शिक्षित किशोरिया, गैर सरकारी संस्थाओं के कार्यकर्ता, गांव का चौकीदार, सभी आंगनवाडी वर्कर ।

इस कमेटी को बहुत से कार्य, अधिकार और वित्तीय शक्तियां दी गई हैं ताकि वह गांव के बच्चों और महिलाओं के विकास के लिये चलाई जा रही सभी योजनाओं की निगरानी कर सकें और उन्हें सुचारू रूप से चलाने में मदद कर सके । इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाने में नीचे दी गई जानकारी सहायक होगीः–

1– यह कमेटी ग्राम पंचायत को सौंपे गये सभी महिला एवं बाल विकास सम्बंधित कार्यो को ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में करेगी ।

2– कमेटी की गतिविधियों का सारा रिकार्ड लेखा जोखा इत्यादि ग्राम सभा की मीटिंगों में प्रस्तुत करना जरूरी होगा ।

3– कमेटी नजदीकी बैंक में अपना खाता खुलवायेगी । कमेटी के द्वारा अधिकृत 2 महिला पंच तथा एक आंगनवाड़ी वर्कर बैंक खाते से पैसा निकाल सकेगी ,खर्च का पूरा लेखा–जोखा कमेटी की हर महीने में होने वाली मीटिंग में पेश तथा पास किया जायेगा ।

4– आंगनवाडी के माध्यम से बच्चों, गर्भवती, महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं व किशोरियों को दिये जाने वाले पौषाहार की 3 महीने की अग्रिम राशि भी कमेटी के खाते में जमा होगी । कमेटी स्वंय सहायता समूहों, महिला मण्डलों या बच्चों की माताओं के समूहों द्वारा खाने की

वस्तुएं तैयार करवायेगी। कमेटी बच्चों एवं माओं की पसंद तथा सुझाव का विशेष ध्यान रखेगी और गांव में आसानी से मिलने वाले सस्ते और पौष्टिक खादय पदार्थो के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी । इस बारे ''सस्ते एवं पौष्टिक व्यंजन'' नाम से दो पुस्तिकाऐं कमेटी के मार्गदर्शन के लिए विभाग द्वारा हर आंगनवाडी वर्कर को दी गई है । कमेटी आहार बारे यह सुनिश्चित करेगी कि बच्चों को उनकी मांओं की निगरानी में ही आहार बांटा जाये । माओं के विचार और सुझाव ''मां की राय'' नाम से शुरू किये रजिस्टर में दर्ज करवायेगी ।

5– कमेटी द्वारा गांव के 6 वर्ष तक के हर बच्चे के स्वास्थ्य एवं पौषण के बारे ब्यौरा रखा जायेगा जिसके लिए विभाग द्वारा रजिस्टर छपवाकर कमेटी को दिये गये हैं ।इस ब्यौरे से कमेटी को गांव के हर बच्चे के स्वास्थ्य, पौषण, टीकाकरण, गंभीर बीमारी, पढाई के बारे जानकारी तो मिलेगी ही, साथ ही साथ स्थिति में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाये जाने बारे भी मदद मिलेगी ।

6– अपने गांव में भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह, महिलाओं पर होने वाले घरेलू अत्याचार,शौषण जैसी सामाजिक बुराईयां तथा इसके निवारण के लिये कमेटी द्वारा उठाये गये कदमों के बारे भी मीटिंग में चर्चा होगी।

7– कमेटी हर महीने निश्चित तिथि व स्थान पर मीटिंग करेगी । प्रत्येक मीटिंग की कार्यवाही विभाग द्वारा कार्यवाही रजिसटर में नियमित रूप से लिखी जायेगी ।

8– महिला एवं बाल विकास के लिये चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे जन समुदाय और लाभार्थियों के विचार जानना, कमेटी का एक महत्वपूर्ण कार्य है ताकि प्रोग्रामों में लोगों की आशाओं के अनुरूप निरंतर सुधार लाया जा सके ।

9– कमेटी विभाग की विभन्न योजनाओं जैसे लाडली, किशोरी शक्ति योजना, सर्वोतम मांओं को पुरस्कार, पढाई में अव्वल आने वाली लडकियों को पुरस्कार आदि में सक्रिय भूमिका निभायेगी तथा योग्य उम्मीदवारों के नाम विभाग को समय पर भेजेगी ।

10– कमेटी आंगनवाडी में चल रही सभी गतिविधियों का हर मासिक मीटिंग में अवलोकन करेगी तथा इसमें सुधार के लिये जरूरी कदम उठायेगी ।

11– कमेटी आंगनवाडी हैल्पर/वर्कर की नियुक्ति की सिफारिश विभाग द्वारा जारी हिदायतों के अनुरूप करेगी ।

12– कमेटी के कार्यो को सुचारू रूप से निभाने हेतू सरकार द्वारा हर कमेटी को कम से कम 5000 रू0 सालाना दिया जायेगा ताकि वह मीटिंग के लिये छुटपुट तथा सामाजिक बुराईयों को रोकने बारे प्रचार आदि पर खर्चा कर सके ।

13– कमेटी आंगनवाडियों में दी जाने वाली सेवाओं को सदृढ करने के साथ–साथ गांव में ज्यादा से ज्यादा बच्चों और महिलाओं को इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेगी ।

आंगनवाडी वर्करों, सुपरवाईजर इत्यदि के माध्यम से कमेटी को विभाग से निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहेगा ।

आशा है कि कमेटी अपने दायित्व और कार्य को जिम्मेवारी से निभायेगी और ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और विशेषकर महिलाओं के सहयोग और सुझाव से निरंतर प्रोग्रामों के क्रियान्वयन को कारगर बनायेगी।

सम्पर्क सूत्रः–

ब्लाक स्तर	जिला स्तर	राज्य स्तर
बाल विकास परियोजना अधिकारी	कार्यक्रम अधिकारी	निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।